भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2202

जिसका उत्तर सोमवार, 5 अगस्त, 2024/14 श्रावण, 1946 (शक) को दिया गया

एमएसएमई क्षेत्र के एनपीए

2202. श्री सुब्बारायण के.:
श्री सेल्वाराज वी.:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एमएसएमई क्षेत्र की गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों की राशि की मात्रा कितनी है;

(ख) कुल एनपीए में एमएसएमई के एनपीए का प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या सरकार ने एमएसएमई ऋणों के लिए एनपीए प्रावधान मानदंडों में छूट दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार एमएसएमई ऋणों के लिए एनपीए वर्गीकरण अवधि को बढ़ाकर 180 दिन करने पर विचार कर रही है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ख): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सूचित किए गए अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक एमएसएमई क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का कुल बकाया ऋण 28.04 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का एमएसएमई क्षेत्र के संबंध में अनर्जक आस्ति 1.25 लाख करोड़ रुपये हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कुल ऋण और अग्रिम के संबंध में 2.74% एनपीए की तुलना में एमएसएमई के संबंध में एनपीए की प्रतिशतता 4.46% है।

(ग) से (ङ): एमएसएमई ऋणों सहित सभी अग्रिमों के संबंध में एनपीए वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदण्ड भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार लागू किए गए हैं। एमएसएमई ऋणों के लिए पृथक व्यवस्था का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

एमएसएमई खातों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से विशेष उल्लेख किए गए खातों (एसएमए) के लिए आरंभिक चेतावनी प्रणाली के ढांचे का उपयोग करने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को परामर्श जारी किया गया है ताकि इससे खातों के परिचालन में अनुचित कठिनाइयां उत्पन्न न हों।

इसके अलावा, केंद्रीय बजट 2024-25 में अन्य बातों के साथ-साथ एमएसएमई के नियंत्रण से परे कारणों से 'विशेष उल्लेख किए गए खाते' (एसएमए) के चरण में दबाव की अवधि के दौरान उन्हें बैंक ऋण की सुविधा जारी रखने के लिए एक गारंटी योजना के माध्यम से ऋण सहायता प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है।

******